

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
(सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
National Highways Authority of India
(Ministry of Road Transport & Highways, Govt. of India)



परियोजना कार्यान्वयन ईकाई-वसन्त विहार। **Project Implementation Unit-Vasant Vihar**

मकान सं० 171, फेज- I, वसन्त विहार, देहरादून -- 248006 House no.171, Phase-I, Vasant Vihar, Dehradun - 248006

दूरभाष/Phone: 0135-2760001 ई-मेल/E-mail: piuvasantvihar@nhai.org वेब/Web: www.nhai.gov.in

NHAI/PIU-VSNT-VHR/55011/Rishikesh-Bhaniyawala/Forest/2021/ **3278**

Date: 03.10.2022

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
देहरादून वन प्रभाग,
जनपद-देहरादून।

विषय: उत्तराखण्ड राज्य के जनपद-देहरादून में राष्ट्रीय राजमार्ग-07 (स्पर) भानियावाला-जौलीग्रान्त-ऋषिकेश कि०मी० 0.000 से कि०मी० 20.600 तक के चार लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण विषयक।

— **वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव सं० FP/UK/ROAD/146663/2021 के संबंध में।**

संदर्भ: आपका कार्यालय पत्रांक 1060/12-1 दिनांक 22.09.2022।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कृपया अपने कार्यालय पत्रांक 1060 दिनांक 22.09.2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव सं० FP/UK/ROAD/146663/2021 के संबंध में कुछ बिन्दुओं पर आख्या चाही गयी है। उपरोक्त के क्रम में वांछित आख्या बिन्दुवार निम्नानुसार प्रेषित है:-

क्रम सं०	प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून द्वारा वांछित आख्या का विवरण	भा०रा०रा०प्रा० की बिन्दुवार आख्या
1	परियोजना से प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या 3776 (3561 वृक्ष आरक्षित वन में व 215 वृक्ष सिविल भूमि में) अत्यधिक है, क्या भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा किसी अन्य अलाईन्मेन्ट पर विचार किया गया है, जिससे प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या को कम किया जा सके। उक्त दोनों अलाईन्मेन्ट की के०एम०एल० फाईल भी इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।	भानियावाला को ऋषिकेश से जोड़े जाने की संदर्भित परियोजना हेतु विभिन्न अलाईन्मेन्ट पर विचार किया गया था (संलग्न) परन्तु वर्तमान अलाईन्मेन्ट सभी विकल्पों में सबसे उपयुक्त पाया गया एवं तदानुसार इस अलाईन्मेन्ट को परियोजना निर्माण हेतु अपनाया गया। स्थानीय कर्व के सुधार के साथ वर्तमान अलाईन्मेन्ट की तुलना में अन्य अलाईन्मेन्ट में वन भूमि का हस्तान्तरण काफी अधिक प्रस्तावित होता। अतः कम से कम वृक्षों के पातन एवं साधारणतः 30-45 मी० की आवश्यकता के सापेक्ष केवल 23 मी० आर०ओ०डब्लू० के अंदर ही वर्तमान अलाईन्मेन्ट को फाइनल किया गया, जिसमें वर्तमान 2-लेन रोड़ पूर्व में ही है। वैकल्पिक अलाईन्मेन्ट की वांछित के०एम०एल० फाईल आपके ई-मेल के द्वारा दिनांक 03.10.2022 को प्रेषित की जा रही है।



भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

(सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)

National Highways Authority of India

(Ministry of Road Transport & Highways, Govt. of India)



परियोजना कार्यान्वयन ईकाई-वसन्त विहार। **Project Implementation Unit-Vasant Vihar**

मकान सं० 171, फेज-1, वसन्त विहार, देहरादून - 248006 House no.171, Phase-I, Vasant Vihar, Dehradun - 248006

दूरभाष/Phone: 0135-2760001 ई-मेल/E-mail: piuvasantvihar@nhai.org वेब/Web: www.nhai.gov.in

2	प्रायः यह देखा जाता है, कि प्रस्ताव तैयार करते समय प्रभावित होने वाले वृक्षों का प्रजातिवार, व्यासवर्गवार विवरण एवं उनकी संख्या से छपान करते समय विसंगति पायी जाती है जिससे वन भूमि हस्तान्तरण के प्रस्ताव में अनावश्यक विलम्ब होता है। अतः आपसे यह अपेक्षा है, कि यदि किसी अन्य अलाईन्मेन्ट को चयनित कर प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या को कम न किया जा सके तो ऐसी स्थिति में इस प्रस्ताव में प्रभावित होने वाले वृक्षों तथा उनकी प्रजातिवार संख्या, व्यासवर्गवार विवरण तथा रिजर्व फारेस्ट के किस कम्पार्टमेन्ट के अन्तर्गत उक्त वृक्ष विद्यमान है से सम्बन्धित सूचना का आप अपने स्तर से गहन परीक्षण करते हुए इस आशय से प्रमाण पत्र इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें, कि भविष्य में प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या प्रजाति इत्यादि में कोई विरोधाभास उत्पन्न नहीं होगा।	भा०रा०रा०प्रा० द्वारा प्रस्तावित आर०ओ०डब्लू० को स्थल पर चिह्नित किया जा चुका है एवं पातन हेतु प्रभावित वृक्षों को गणना सहित पेन्ट द्वारा चिह्नित किया जा चुका है। वृक्षों की गणना वन विभाग के अधिकारियों एवं भा०रा०रा०प्रा० के प्रतिनिधियों के द्वारा संयुक्त रूप से की गयी थी एवं तदनुसार वृक्षों की सूची पर स्थल निरीक्षण में उपस्थित सभी प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर हैं, उक्त सूची में 30 से०मी० या उससे बड़े व्यास के वृक्षों को सम्मिलित किया गया है जबकि 30 से०मी० से कम व्यास के पौधों एवं झाड़ीयों को सूची में नहीं लिया गया है। यदि उक्त के पश्चात भी आपको उक्त सूची में प्रजाति, संख्या, व्यास आदि के विवरण के संबंध में कोई अन्य निर्देश हो तो उक्त वृक्षों का पुनः संयुक्त निरीक्षण कराया जा सकता है। यद्यपि भा०रा०रा०प्रा० द्वारा यह सुनिश्चित किया जाता है कि वर्तमान आर०ओ०डब्लू० में भविष्य में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा।
3	परियोजना के निर्माण में प्रभावित होने वाले वन भूमि के दुगने अवनत भूमि में क्षतिपूरक वनीकरण हेतु अवनत भूमि का विवरण भी इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।	भा०रा०रा०प्रा० द्वारा पत्रांक 2693 दिनांक 08.07.2022 एवं 2977 दिनांक 18.08.2022 (प्रति संलग्न) के माध्यम से आपके कार्यालय से वन भूमि के दुगने अवनत भूमि में क्षतिपूरक वनीकरण हेतु अवनत भूमि के कॉरडिनेट्स की मांग की गयी थी, जो कि वर्तमान तक अप्राप्त है। अतः उक्त विवरण इस कार्यालय को प्राप्त होने के पश्चात परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर दिया जायेगा।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(पंकज कुमार मौर्य)

महाप्रबन्धक (तक०) सह परियोजना निदेशक
प०का०ई०-वसन्त विहार (देहरादून)

प्रतिलिपि:

1. क्षेत्रीय अधिकारी-उत्तराखण्ड, भा०रा०रा०प्रा०, देहरादून।
2. टीम लीडर, मै० योंग्मा इन्जीनियरिंग कंपनी लि०, देहरादून - को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।



भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

(सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)

National Highways Authority of India

(Ministry of Road Transport & Highways, Govt. of India)

परियोजना कार्यान्वयन ईकाई-वसन्त विहार, (देहरादून)

Project Implementation Unit-Vasant Vihar (Dehradun)

मकान सं० 171, फेज-1, वसन्त विहार, देहरादून - 248006

House no.171, Phase-I, Vasant Vihar-Dehradun - 248006

दूरभाष/Phone : 0135-2760001

ई-मेल/E-mail : piuvasantvihar@nhai.org

वेबसाइट/Website : www.nhai.gov.in



NHAI/PIU-VSNT-VHR/Rishikesh-Bhaniyawala (Forest)/2021/2693

Date: 08.07.2022

To,

DFO Dehradun

Tilak Road, Dehradun

Sub: Consultancy services for Feasibility Study/Detailed Project Report for the Project of Four laning of Bhaniyawala-Jollygrant-Rishikesh road (Spur) of Nh-07 in the state of Uttarakhand - **Revised Documents for Forest Clearance Proposal No. FP/UK/ROAD/146663/2021 - reg.**

Ref.: Your office letter no. 3591 dated 27.04.2022

Sir,

This is in reference to the subject project vide which the Forest Proposal No. FP/UK/ROAD/146663/2021 dated 01.09.2021 has been uploaded on on Parivesh portal on 16.04.2022.

2. In reference to your office letter cited above, it is to inform that during the enumeration of forest trees, slight changes in forest boundaries were observed, resulting in change of area of forest land. Earlier, the proposal was submitted with forest area as 19.8576 Ha, but now the area is revised as 19.8345 Ha.

3. Due to the above change, the relevant documents have been modified and a copy of the same is enclosed herewith. The revised documents have also been uploaded on Parivesh portal. The dispensation of Compensatory Afforestation over double the degraded forest land i.e. 39.6690 Ha will now be required.

In addition to above, to meet the prerequisite for forest clearance, CA land coordinates are also required to prepare map and uploading on Parivesh Portal. Therefore, it is requested to provide the same at the earliest.

Thanking You.

Yours Faithfully

(Pankaj Kumar Mourya)

GM (Tech.) cum Project Director
PIU-Vasant Vihar (Dehradun)

Copy to:

- (i) RO-Uttarakhand, NHAI, Dehradun - For kind information.
- (ii) Team Leader, M/s Yongma Engineering Co. Ltd. - For necessary action.



सत्यमेव जयते

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

(सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)

National Highways Authority of India

(Ministry of Road Transport & Highways, Govt. of India)

परियोजना कार्यान्वयन ईकाई-वसन्त विहार, (देहरादून)

Project Implementation Unit-Vasant Vihar (Dehradun)

मकान सं० 171, फेज-I, वसन्त विहार, देहरादून - 248006

House no.171, Phase-I, Vasant Vihar-Dehradun - 248006

दूरभाष/Phone : 0135-2760001
ई-मेल/E-mail : piuvasantvihar@nhai.org
वेबसाइट/Website : www.nhai.gov.in



NHAI/PIU-VSNT-VHR/55013/Bhaniyawala-Rishikesh/Forest/2021/2977
सेवा में,

Date: 18.08.2022

अनुस्मारक-1

प्रभागीय वनाधिकारी
वन प्रभाग देहरादून,
जनपद-देहरादून (उत्तराखण्ड)

विषय: उत्तराखण्ड राज्य के जनपद-देहरादून में राष्ट्रीय राजमार्ग-07 भानियावाला (देहरादून) से ऋषिकेश सड़क के कि०मी० 0.000 से कि०मी० 20.600 तक के भाग के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण के संबंध में।

— फोरेस्ट क्लियरेंस प्रस्ताव अन्तर्गत क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन-भूमि के को-ऑर्डिनेट्स उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में। (फोरेस्ट प्रपोजल संख्या- FP/UK/ROAD/146663/2021)

सन्दर्भ:

1. आपका कार्यालय पत्रांक 228/12-1 दिनांक 15.07.2022।
2. भा०रा०रा०प्रा०, पी०आई०यू०-वसन्त विहार (देहरादून) कार्यालय पत्रांक 2693 दिनांक 08.07.2022।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा, उत्तराखण्ड राज्य अन्तर्गत, जनपद-देहरादून में राष्ट्रीय राजमार्ग-07 भानियावाला (देहरादून) से ऋषिकेश सड़क के कि०मी० 0.000 से कि०मी० 20.600 तक के भाग के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी है, जिसके साध्यता अध्ययन एवं विस्तृत परियोजना आख्या **(Feasibility Study and Detailed Report)** तैयार करने का कार्य मै० योंग्मा इन्जीनियरिंग को० लि० के माध्यम से सम्पादित कराया जा रहा है।

2. अवगत कराना है कि उक्त परियोजना निर्माण से प्रभावित वन भूमि कुल 19.8345 हेक्टेअर के हस्तान्तरण हेतु फोरेस्ट प्रपोजल तैयार कर प्रयोक्ता द्वारा PARVESH पोर्टल पर दिनांक 16.04.2022 को अपलोड किया गया है। तदनुसार क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु लगभग 39.6690 है० CA Land की आवश्यकता है। वनविभाग के नियमानुसार क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन भूमि का चयन आपके स्तर से किया जाना उचित प्रतीत होता है। क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु नक्शा तैयार कराये जाने हेतु को-ऑर्डिनेट्स (Co-ordinates)की आवश्यकता है।

अतः उपरोक्त के क्रम में राष्ट्रीय महत्व की परियोजना जिसकी समीक्षा शासन स्तर से भी की जा रही है को दृष्टिगत रखते हुये आपसे अनुरोध है कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु Degraded Forest/बंजर भूमि आदि सम्बन्धी उपयुक्त भूमि के को-ऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) उपलब्ध कराने कष्ट करें, जिससे परियोजना कार्य निर्धारित समयावधि में पूर्ण किया जा सके।

स-धन्यवाद।

भवदीय

(पंकज कुमार मौर्य)

महाप्रबन्धक (तक०) सह परियोजना निदेशक
पी०आई०यू०-वसन्त विहार (देहरादून)

प्रतिलिपि: मै० योंग्मा इन्जीनियरिंग को० लि० को इस आशय से प्रेषित कि संबंधित विभाग से समन्वय स्थापित कर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

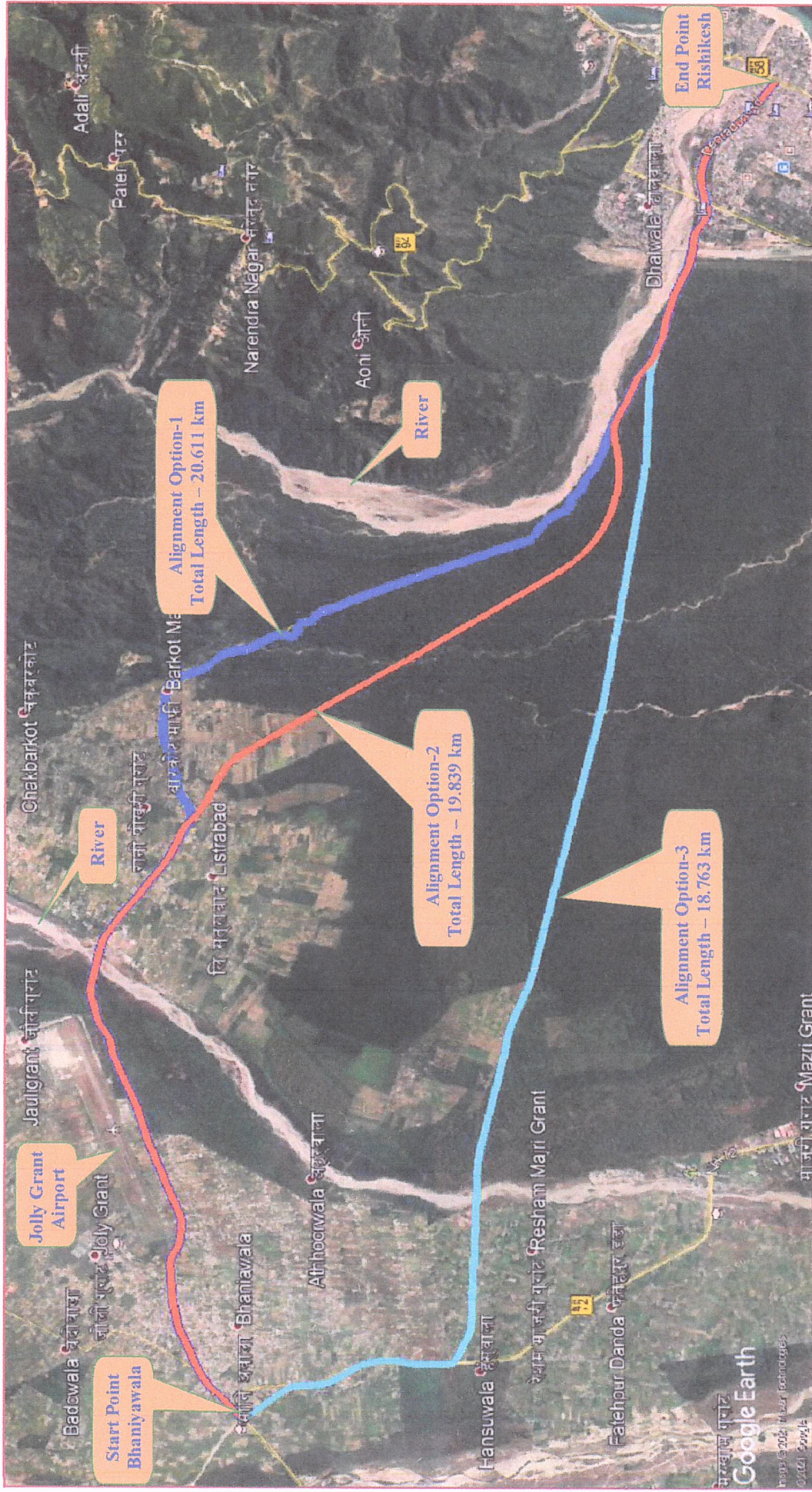


Fig 4.15: All Alignment Options



कार्यालय, प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग, देहरादून।

पत्रांक : 1060/12-1

देहरादून,

दिनांक

22

सितम्बर, 2022

सेवा में,

निदेशक,

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण,

परियोजना कार्यान्वयन ईकाई-वसन्त विहार,

मकान संख्या-171, फेज-1 वसन्त विहार,

देहरादून।

विषय:- उत्तराखण्ड राज्य के जनपद-देहरादून में राज्य राजमार्ग-07 भानियावाला (देहरादून) से ऋषिकेश सड़क के कि०मी० 0.000 से कि०मी० 20.620 तक के भाग के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण के निर्माण में आने वाली 19.8576 हे० वन भूमि के हस्तान्तरण प्रस्ताव के सम्बन्ध में। (ऑनलाईन प्रस्ताव सं०- FP/UK/Road/146663/2021)

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रस्ताव हार्ड कॉपी में अघोहस्ताक्षरी को हस्ताक्षर करने हेतु आपके द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है। प्रस्ताव का अवलोकन करने पर प्रकरण से सम्बन्धित निम्नलिखित बिन्दुओं पर आपसे आख्या अपेक्षित है-

1. परियोजना से प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या 3776 (3561 वृक्ष आरक्षित वन में व 215 वृक्ष सिविल भूमि में) अत्यधिक है, क्या भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा किसी अन्य अलाइनमेंट पर विचार किया गया है, जिससे प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या को कम किया जा सके। उक्त दोनों अलाइनमेंट की (के०एम०एल० फाईल भी इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
2. प्रायः यह देखा जाता है, कि प्रस्ताव तैयार करते समय प्रभावित होने वाले वृक्षों का प्रजातिवार, व्यासवर्गवार विवरण एवं उनकी संख्या में छपान करते समय विसंगति पायी जाती है जिससे वन भूमि हस्तान्तरण के प्रस्ताव में अनावश्यक विलम्ब होता है। अतः आपसे यह अपेक्षा है, कि यदि किसी अन्य अलाइनमेंट को चयनित कर प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या को कम न किया जा सके तो ऐसी स्थिति में इस प्रस्ताव में प्रभावित होने वाले वृक्षों तथा उनकी प्रजातिवार संख्या, व्यासवर्गवार विवरण तथा रिजर्व फॉरेस्ट के किस कम्पार्टमेंट के अन्तर्गत उक्त वृक्ष विद्यमान हैं से सम्बन्धित सूचना का आप अपने स्तर से गहन परीक्षण करते हुए इस आशय से प्रमाण पत्र इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें, कि भविष्य में प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या प्रजाति इत्यादि में कोई विरोधाभास उत्पन्न नहीं होगा।
3. परियोजना के निर्माण में प्रभावित होने वाले वन भूमि के दुगने अवनत भूमि में क्षतिपूर्क वनीकरण हेतु अवनत भूमि का विवरण भी इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

अतः उपरोक्त वर्णित बिन्दुओं को दृष्टिगत रखते हुए अपनी स्पष्ट आख्या शीघ्र इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि प्रस्ताव पर शीघ्र अग्रतर कार्यवाही की जा सके।

संलग्नक- प्रस्ताव मूल में वापस

भवदीय

प्रभागीय वनाधिकारी,

देहरादून वन प्रभाग, देहरादून।

पत्रांक:- /12-1 तददिनांकित।

प्रतिलिपि:- वन क्षेत्राधिकारी, थानों, बड़कोट एवं ऋषिकेश को इस आशय से प्रेषित कि प्रयोक्ता अभिकरण के साथ उपरोक्तानुसार दिये गये निर्देशों के क्रम में उचित सहयोग प्रदान करें। प्रयोक्ता अभिकरण को कम्पार्टमेंट के नक्शे इत्यादि मांगे जाने पर अवलोकन हेतु उपलब्ध करायें।

प्रभागीय वनाधिकारी,

देहरादून वन प्रभाग, देहरादून।